P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 15.07.2018 द्वारा श्रीमती कुसुमलता सनाढ्य, प्रधानाचार्या राउमावि हलेड़ जिला भीलवाड़ा का स्थानान्तरण राउमावि अमीरामा, बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सनाढ्य द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2537/2018 कुसुमलता सनाढ्य बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.07.2018 को अपीलार्थी श्रीमती कुसुमलता सनाढ्य की सीमा तक एतद्द्वारा अपास्त किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश की अनुपालना में विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.07.2018 को अपीलार्थी कुसुमलता सनाढ्य की सीमा तक एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती कुसुमलता सनाढ्य राउमावि हलेड़ जिला भीलवाड़ा में माननीय अधिकरण के निर्णय के अध्याधीन यथावत कार्यरत रहेंगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/कुसुमलता/अपील/2537/2018 दिनांक 26/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलाथी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.रिव्यूडीपीसी/01–02 से 17–18/पदस्थापन/2018 दिनांक 28.05.2018 द्वारा श्रीमती सुनीता कुमारी जिनोलिया, प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कुलोठ कलां जिला झुन्झुनूं को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि जसाना, नोहर जिला हनुमानगढ़ में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था। प्रार्थिया के पदस्थापन स्थान पर प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने के कारण प्रार्थिया का पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि भाटोली गुजरान जिला चित्तौडगढ किया गया।

श्रीमती सुनीता कुमारी द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश एवं अपने गृह जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद होते हुए भी उन्हें काउन्सलिंग के दौरान प्रदर्शित नहीं किये जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15973/2018 सुनीता कुमारी जिनोलिया बनाम सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 9371/2014 शिव प्रसाद निमिवाल बनाम राजस्थान सरकार व याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 6 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर 31.10.2018 को रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद राउमावि पुहानिया, बुहाना जिला झुन्झुनूं अथवा जयसिंह राआउमावि खेतड़ी जिला झुन्झुनु में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई है।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरणों शिव प्रसाद निमिवाल व मोनिका मील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से विचार किया गया। काउन्सलिंग में रिक्तियों को विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रदर्शित किया जाता है। याचिकार्थी को पूर्व में काउन्सलिंग के समय वरीयता का लाभ नियमानुसार दिया जाकर ही उनकी काउन्सलिंग की गई थी। जहां तक शिव प्रसाद निमिवाल और मोनिका मील के प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है तो उक्त प्रकरणों में भी माननीय न्यायालय द्वारा वरीयतानुसार पदस्थापन के ही निर्देश प्रदान किये गए थे। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्रीमती सुनीता कुमारी जिनोलिया का अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 26/10/18

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुनीता/याचिका/15973/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित अपीलार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)